

**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)**

E-mail – [deanmedicalcollegehindwara@gmail.com](mailto:deanmedicalcollegehindwara@gmail.com) Phone No. 07162-297009

क्रमांक / स्था0 / विज्ञप्त / 2023 / 7770

छिन्दवाड़ा दिनांक - 20/09/2023

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4-60/2017/55-2, भोपाल दिनांक 06-05-2017/12-05-2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र./1/55/2018 भोपाल दिनांक 07-04-2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्र. 378(ए) /स्था./राज/2022, भोपाल दिनांक 12/04/2022 को जारी नवीन अनुसूची के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक एफ-1-1-1-02-2023-1-पचपन भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. एफ-1-1-102-2023-1-पचपन, भोपाल दिनांक 25 मई 2023 के अनुसार संस्था में रिक्त पदों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा पद पूर्ति की जाना है।

प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन पत्र निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अधिष्ठाता कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क एक समान प्रत्येक पद हेतु रूपये 1000/- (शब्दों में रूपये एक हजार मात्र/-) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। डिमांड आवेदन के साथ संलग्न न करने पर आवेदक का आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07/10/2023 शाम 5:30 बजे तक है, तदुपरांत प्राप्त आवेदन अमान्य रहेगें।

**प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नानुसार :-**

सं. क्र.	विभाग/विषय का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	अनारक्षित (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)
1.	अस्थि रोग विभाग	01	01	-	-	-
2.	शिशुरोग विभाग	01	01	-	-	-
3.	नेत्र रोग विभाग	01	01	-	-	-
4.	निश्चेतना विभाग	01	01	-	-	-
5.	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	01	01	-	-	-
	<b>कुल पदों की संख्या</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**सह-प्राध्यापक के पदों का विवरण निम्नानुसार -**

सं. क्र.	विभाग/विषय का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	अनारक्षित (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)
1.	पैथोलॉजी विभाग	01	01	-	-	-
2.	जनरल मेडिसिन विभाग	01	01	-	-	-
3.	जनरल सर्जरी विभाग	01	01	-	-	-
4.	रेडियोडायग्नोसिस	01	01	-	-	-
5.	दंतरोग विभाग	01	01	-	-	-
	<b>कुल पदों की संख्या</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**सहायक प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नानुसार :-**

सं. क्र.	विभाग/विषय का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	अनारक्षित (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)
1.	एनाटॉमी विभाग	02	01	01	-	-
2.	फिजियोलॉजी विभाग	01	-	01	-	-
3.	बायोकेमेस्ट्री विभाग	02	01	01	-	-

4.	फार्मेकोलॉजी विभाग	02	01	01	-	-
5.	पैथोलॉजी विभाग	01	-	-	-	01
6.	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	02	01	01	-	-
7.	फोरेसिक मेडिसिन विभाग	01	01	-	-	-
8.	जनरल मेडिसिन विभाग	01	-	-	-	01
9.	शिशुरोग विभाग	01	01	-	-	-
10.	जनरल सर्जरी विभाग	02	01	01	-	-
11.	कान, नाक एवं गला विभाग	01	01	-	-	-
12.	निश्चतना विभाग	02	01	01	-	-
13.	रेडियोडायग्नोसिस विभाग	01	01	-	-	-
	<b>कुल पद</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>07</b>	<b>-</b>	<b>02</b>

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट [www.govtmedicalcollegehindwara.com](http://www.govtmedicalcollegehindwara.com) एवं [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

9. आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर **अधिष्ठाता कार्यालय, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड- 480001** में आवेदन पत्र जमा कराये जा सकते हैं, एवं निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक के माध्यम से भेजा जाये।
10. आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर पता स्पष्ट रूप से बिन्दु क्रमांक 01 में दर्शित पूर्ण पते पर ही भेजा जावे, शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम..... तथा आवेदित पद का नाम..... और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक हैं, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तथा आवेदन प्रारूप में किसी भी प्रकार का अपलेखन किये जाने पर आवेदन पत्र स्वयं आमाम्य रहेगा।
11. सभी शार्ट लिस्टेड आवेदकों को फोन द्वारा/ई-मेल द्वारा बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की समय सारणी कॉलेज वेबसाईट पर प्रदर्शित कि जायेगी। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट [www.govtmedicalcollegehindwara.com](http://www.govtmedicalcollegehindwara.com) पर अपलोड की जावेगी।
12. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
13. केवल शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। यदि पद रिक्त हुए तो बाद में अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा।
14. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, जिसका अक्षरतः पालन किया जावेगा।

15. घयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं राभी उम्मीदवारों के लिये बाध्य होगा।

16. वेतनमान

पद	नियमित नियुक्ति हेतु वेतनमान
प्राध्यापक	1,44,200–2,18,200 + डी0ए0
सह प्राध्यापक	1,31,400–2,17,100 + डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	68,900–1,39,900 + डी0ए0

टीप –समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

10. आयु सीमा

पद	न्यूनतम आयु सीमा
प्राध्यापक	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष

टीप – आयु की गणना 01 जुलाई 2023 की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

17. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचितजाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, F = महिला पदहेतु आरक्षित है।
- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

18. अर्हताये :-

- c) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता। (भारत का राजपत्र दिनांक 14 फरवरी 2022)

19. निरर्हताये-

12.1-विकृत चित्त वाला होने पर।

12.2-दुश्चरित्र होने पर।

12.3-शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

12.4-नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हताकारी माना जायेगा।



12.5-विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने पहले पति/पत्नि के जीवित रहते हुये पुनः विवाह किया हो अथवा किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात अग्रिम प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्हताकारी नहीं होगा।

12.6-कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरवदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जबाबदेह रहेगा।


12.7-कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप प्रदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

12.8-ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा तथा को छिपाते हुए नियुक्ति प्राप्त करता है तो जानकारी पता चलने पर विधि संवत कार्यवाही की जावेगी तथा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

12.9-स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथाऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।

12.10-व्यवसायिक आचरण – संबंधित चिकित्सकीय सेवा के लिए लागू आयुर्विज्ञान परिषद् तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत परिषद् समय-समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं आपेक्षओं के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप लागू होंगे।

20. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर होगी।
21. शासकीय/स्वशासी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
23. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने पर चिकित्सा शिक्षकों को एक वर्ष का वेतन और मानदेय वसूल करने के प्रावधान रहेगा, जो भी पहले हो तक संबंधित छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 01 वर्ष का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।



बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 01 वर्ष का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।

17. आवेदन करने की अंतिम तिथि :-अधिष्ठाता कार्यालय, आवक जावक शाखा, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड-480001 में आवेदन पत्र दिनांक ..... सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट "[www.govtmedicalcollegechhindwara.com](http://www.govtmedicalcollegechhindwara.com)" एवं "[www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in)" पर उपलब्ध है।
20. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
21. विज्ञापित पदों का विवरण पत्रक संलग्न जिसमें आवेदन आमंत्रित है।
22. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

#### महत्वपूर्ण टीप :-

- 1-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे।
- 2-चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
- 3-आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।
- 4- चयन प्रक्रिया/प्रकशित विज्ञापित में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

15/11/23

मुख्य कार्यपालक आधिकारी/अधिष्ठाता  
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,  
Chhindwara Institute of Medical Sciences  
छिन्दवाड़ा (M.P.)